वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017-आषाढ़ 2, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मेधा देव पत्नि श्री प्रशान्त देव, निवासी देव साहब का बाड़ा, शम्भू निवास, दर्जीओली, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सूचित करती हूँ कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी मेधा सायखेड़कर पुत्री स्व. श्री वसन्त गोविन्द सायखेड़कर अंकित था. विवाह उपरान्त मेरा नाम श्रीमती मेधा देव पत्नि श्री प्रशान्त देव हो गया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती मेधा देव के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(मेधा सायखेड़कर)	**(मेधा देव)**
पुत्री स्व. श्री वसन्त गोविन्द सायखेड़कर.	पत्नि श्री प्रशान्त देव.

(172-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को अवगत किया जाता है कि, मैं, गौरव रघुवंशी पिता मनोहरसिंह रघुवंशी का कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम गौरव पिता मनोहर रघुवंशी अंकित हो गया है तथा पासपोर्ट दस्तावेज में मेरा नाम गौरव मनोहर रघुवंशी दर्ज है. ऐसी स्थिति में भविष्य में मुझे गौरव रघुवंशी पिता मनोहरसिंह रघुवंशी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. उपरोक्त दोनों नाम मुझ गौरव रघुवंशी पिता मनोहर सिंह रघुवंशी के ही हैं.

गौरव,
पिता-मनोहरसिंह रघुवंशी,
पता-122/32, खासगी का बगीचा,
किला मैदान रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(169-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि समस्त रिकॉर्ड आदि में मेरा नाम प्रतीक कुंदनानी पिता राजकुमार कुंदनानी दर्ज है, जो अब परिवर्तित होकर विराज कुंदनानी पिता राजकुमार कुंदनानी हो गया है.

अत: अब मुझे विराज कुंदनानी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रतीक कुंदनानी)

पिता राजकुमार कुंदनानी.

नया नाम :

(विराज कुंदनानी)

पिता राजकुमार कुंदनानी,
795, बजरंग नगर, इन्दौर.

(173-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शिवनारायण धाकड़ स्कूल व कॉलेजों में अध्ययन के समय मेरे सभी अंकसूची व प्रमाण-पत्रों में शिवनारायण नायमा पिता श्री सालग्राम नायमा अंकित है. वर्तमान में मेरे सभी रिकॉर्ड व दस्तावेजों में शिवनारायण धाकड़, निवासी 131, ग्राम सादाखेड़ी, पोस्ट चौरासी, बड़ायला, तह. जावरा, जिला रतलाम लिखा हुआ है. मुझे शिवनारायण धाकड़ के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(शिवनारायण नायमा)

नया नाम :

(शिवनारायण धाकड़)
131, ग्राम सादाखेड़ी, तह. जावरा,
जिला रतलाम.

(174-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सत्यनारायण था परन्तु अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर सत्यम चौधरी कर लिया है. अब मुझे सत्यम चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(सत्यनारायण)
(SATYANARAYAN)

नया नाम :

(सत्यम चौधरी)
(SATYAM CHOUDHARY)
ग्राम डाबली कम्मा, अजमाबाद,
उज्जैन (म.प्र.).

(175-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार था किन्तु अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर देवेन्द्र कुमार दुबे कर लिया है. आगे से मुझे देवेन्द्र कुमार दुबे के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(देवेन्द्र कुमार)
(DEVENDRA KUMAR)

नया नाम :

(देवेन्द्र कुमार दुबे)
(DEVENDRA KUMAR DUBEY)
म.नं. 84, वार्ड नं. 3, रमखिरिया,
सिहोरा, जबलपुर (म.प्र.).

(176-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विकास चन्द्रवंशी पिता श्री राजेन्द्र बहादुर ताम्रकार, निवासी 337-ईडब्ल्यू.एस., डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर कॉलोनी, देवास, तह. व जिला-देवास पर निवास करता हूँ. नुटिवश मेरी अंकसूची में तथा स्कूल रिकॉर्ड में मेरा नाम विकास चन्द्रवंशी दर्ज हो गया है. वास्तव में मेरा सही नाम विकास ताम्रकार है. मुझे आज से व भविष्य में विकास ताम्रकार पिता श्री राजेन्द्र बहादुर ताम्रकार के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा शासकीय व अर्द्ध-शासकीय एवं अन्य कार्यालयों में विकास ताम्रकार नाम अंकित किया जावे व जाना जावे.

पुराना नाम :

(विकास चन्द्रवंशी)

नया नाम :

(विकास ताम्रकार)
निवासी-337-ईडब्ल्यू.एस., मुखर्जी नगर कॉलोनी,
देवास, तह. व जिला-देवास (म.प्र.).

(170-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा ने अपना उपनाम झाँ परिवर्तित कर लिया है तथा भविष्य में मुझे ओमप्रकाश झाँ पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(ओमप्रकाश शर्मा)
पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा.

नया नाम :
(ओमप्रकाश झाँ)
पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा,
नाका चन्द्रवदनी, नहर वाली माता के ऊपर,
गली नं. 4, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(177-बी.)

CHANGE IN NAME

I, SHALENDRA SINGH JADOAN here by declare that I have change my name as SHAILENDRA SINGH JADAUN. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:
(SHALENDRA SINGH JADOAN)

New Name :
(SHAILENDRA SINGH JADAUN)
Add.—3411-E, Sudama Nagar,
Indore (M.P.).

(168-B.)

CHANGE IN NAME

I, VEERENDRA MALVIA here by declare that I have change my name as VEERENDRA KUMAR MALVIYA. So, from now and in future I will be known by my new name VEERENDRA KUMAR MALVIYA.

Old Name:
(VEERENDRA MALVIA)

New Name :
(VEERENDRA KUMAR MALVIYA)
Add.-270, Sector-B, Surya Dev Nagar,
Indore (M.P.).

(167-B.)

NOTICE

This is to notify that smt. Aditi Vijayvargiya W/o Praffull Vijayvargiya has admitted as new partner in M/s Praffull Vijayvargiya Construction, Shujalpur and Shri Bahadur Singh Sendhav S/o Shri Badrilal Sendhav have retired from said firm by mutual consent with effect from 01-04-2017.

M/s Praffull Vijayvargiya Construction,
PRAFFULL VIJAYVARGIYA,
(Partner).

(165-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-जय श्री माँ अम्बाह, रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00049/06, सन् 2006-07 रजिस्टर्ड ऑफिस जी-100, सनथ होम्स, कैलाश विहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर पर स्थित है. जिसमें पांच साझेदार श्री अंबरीश शिवहरे, श्रीमती अनामिका शिवहरे, श्री शेखर शिवहरे, श्री मुकेश शिवहरे एवं श्रीमती भारती शिवहरे हैं. श्री मुकेश शिवहरे एवं श्रीमती भारती शिवहरे उक्त फर्म से दिनांक 10 मई, 2017 से अन्य साझेदारों की सहमति से अलग हो चुके हैं. भविष्य में इनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा. समस्त सूचित हों.

सूचनाकर्ता-
मेसर्स-जय श्री माँ अम्बाह,
अंबरीश शिवहरे,
(भागीदार).

(149-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स ओम इंजीनियरिंग वर्क्स, पंजीयन क्रमांक 03/28/01/0059/17, दिनांक 26 मई, 2017, पता पीथमपुर पुलिस चौकी के सामने, पीथमपुर जिला धार (म.प्र.). इस समय फर्म में साझेदार के रूप में श्री रोशनलाल शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा, श्री राकेश शर्मा पिता श्री रामजीलाल शर्मा थे, तदुपरान्त दिनांक 30 मई, 2017 को साझेदारी फर्म में नये साझेदार के रूप में श्री राजेन्द्र चौहान पिता श्री गेंदालाल चौहान को सम्मिलित किया गया और पुराने साझेदार श्री रोशनलाल शर्मा पिता श्री बाबूलाल शर्मा साझेदारी फर्म से पृथक् हुए.

वर्तमान में यह फर्म साझेदार श्री राकेश शर्मा पिता श्री रामजीलाल शर्मा एवं साझेदार श्री राजेन्द्र चौहान पिता श्री गेंदालाल चौहान द्वारा प्लाट नंबर एस-1/1, सेक्टर-1, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) में संचालित की जा रही है.

ओम इंजीनियरिंग वर्क्स,
राजेन्द्र चौहान,
(साझेदार).

(166-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s SUBHOXIDE, 1204, स्टेट बैंक कॉलोनी, हाथीताल, जबलपुर-482001 में स्थित है. जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/14/01/0236/16, सन् 2015-16, दिनांक 27 जनवरी, 2016 में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी, जबलपुर संभाग, मध्यप्रदेश में दर्ज है. जिसमें 6 भागीदार (1) श्रीमती माया कनोड़िया पत्नि श्री ज्ञान प्रकाश कनोड़िया, निवासी हाउस नं. 45, केन्ट रोड, कानपुर, (2) श्रीमती पूजा अग्रवाल पत्नि श्री अनूप अग्रवाल, म.नं. 128/153, बी-ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर, (3) श्री गौरव कनोड़िया पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश कनोड़िया, निवासी म.नं. 45, केन्ट रोड, कानपुर, (4) श्री जसजीत सिंह वालिया पुत्र श्री मदनजीत सिंह वालिया, म.नं. 188, रिजवान बाग, बी.आई.पी. रोड, लाल घाटी, भोपाल, (5) श्रीमती ननही जे.एस. वालिया पत्नि जसजीत सिंह वालिया, 188, रिजवान बाग, बी.आई.पी. रोड, लाल घाटी, भोपाल, (6) श्री शराद जैन पुत्र स्व. श्री ताराचन्द्र जैन, 1204, स्टेट बैंक कॉलोनी, हाथीताल, जबलपुर थे. उपरोक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 03 अप्रैल, 2017 में परिवर्तन कर (7) श्री अभिताभ विष्ट पुत्र श्री सुदर्शन सिंह विष्ट, म.नं. 2396 सी-2, वसंतकुंज, नई दिल्ली को भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है. भागीदारी फर्म में पूर्व भागीदार सदस्य यथावत रहेंगे. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय आदि को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर मय दस्तावेज प्रस्तुत करें. श्री जसजीत सिंह वालिया पुत्र श्री मदन जीत सिंह वालिया, म.नं. 188, रिजवान बाग, बी.आई.पी. रोड, लाल घाटी, भोपाल.

रंजना वाजपेयी,
(अधिवक्ता)
16/1, संजय कॉम्पलेक्स, फेस-2, भोपाल.

(171-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 08 जून, 2017

मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा-2017, परीक्षा, दिनांक 30 अप्रैल, 2017 (रविवार)

संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून, 2017 है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-4290/14/2017/अनु.-10.—आयोग के विज्ञापन क्रमांक-01/2017/07 फरवरी, 2017 अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के तहत् कुल-25 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2017 निर्धारित थी. शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/01/2017, दिनांक 21 मार्च, 2017 ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि में वृद्धि की सूचना. उपरोक्त पद हेतु मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा-2017, दिनांक 30 अप्रैल, 2017 (रविवार) को प्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर स्थित केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त ऑनलाईन परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र.-4290/14/2017/अनु.-10, दिनांक 08 जून, 2017 द्वारा घोषित किया गया है. यह लिखित परीक्षा परिणाम "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे. आवेदकों को ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में कुल-449 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-77 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये हैं. इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-43, अनुसूचित जाति-12, अनुसूचित जनजाति-10 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-12 सम्मिलित हैं. इनमें कुल-25 महिलाएं एवं समान अंक आवेदक कुल-02 सम्मिलित हैं. निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा-2017, दिनांक 30 अप्रैल, 2017 (रविवार) के सभी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर (01) अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं (02) व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ (03) जन्मतिथि, (04) शैक्षणिक योग्यता, (05) जाति प्रमाण-पत्र, (06) मूल निवासी प्रमाण-पत्र, (07) विकलांगता प्रमाण-पत्र (08) आधार कार्ड, (09) बैंक विवरण के पृष्ठ की छायाप्रति एवं परीक्षा के लिए भरे गए (10) ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 27 जून, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी. परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

(1311)

इन्दौर, दिनांक 08 जून, 2017

मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा-2017, परीक्षा, दिनांक 30 अप्रैल, 2017 (रविवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून, 2017 निर्धारित है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-4290/14/2017/अनु.-10.—आयोग के विज्ञापन क्रमांक-01/2017/07 फरवरी, 2017 अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के तहत् कुल-25 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2017 निर्धारित थी. शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/01/2017, दिनांक 21 मार्च, 2017 ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि में वृद्धि की सूचना. उपरोक्त पद हेतु मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा-2017, दिनांक 30 अप्रैल, 2017 (रविवार) को प्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर स्थित केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त ऑनलाईन परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र.-4290/14/2017/अनु.-10, दिनांक 08 जून, 2017 द्वारा घोषित किया गया है. यह लिखित परीक्षा परिणाम "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे. आवेदकों को ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में कुल-449 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-77 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये हैं. इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-43, अनुसूचित जाति-12, अनुसूचित जनजाति-10 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-12 सम्मिलित हैं. इनमें कुल-25 महिलाएं एवं समान अंक आवेदक कुल-02 सम्मिलित हैं. नि:शक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा-2017 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर (01) अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं (02) व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ (03) जन्मतिथि, (4) शैक्षणिक योग्यता, (05) जाति प्रमाण-पत्र, (06) मूल निवासी प्रमाण-पत्र, (07) विकलांगता प्रमाण-पत्र (08) आधार कार्ड, (09) बैंक विवरण के पृष्ठ की छायाप्रति एवं परीक्षा के लिए भरे गए (10) ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 27 जून, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी.

4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

कुल विज्ञापित रिक्तियों की श्रेणीवार, वर्गवार संख्या

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	14	04	03	04	25
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ	05	01	01	01	08
(स)	नि:शक्तजन (अ.बा.दृ.बा. एवं श्र.बा.) हेतु आरक्षित पद		01	(श्रवण बाधित)		01

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	43	12	10	12	77
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	15	03	03	03	24
(स)	नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद के विरुद्ध अर्ह आवेदक संख्या			कोई आवेदक प्राप्त नहीं.		-

SPORTS YOUTH WELFARE SERVICE EXAM -2017

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW

SL. No.	ROLL No.	NAME
1	SW1021	PAYAL CHILONGIA
2	SW1022	KAPIL SHRIVASTAV
3	SW1029	VIJAY SINGH GURJAR
4	SW1030	BHAGWAN SINGH BAGHEL
5	SW1038	POOJA PATEL
6	SW1042	RUCHISHARMA
7	SW1050	SARITA ALAWA
8	SW1053	ANTIMBALAL KUMAVAT
9	SW1056	PAVI DUBEY
10	SW1065	SANTARA NINAMA
11	SW1067	VIJAY KUMAR
12	SW1078	VIJAY BHAIDAS SHINDE
13	SW1085	DILEEP MOURYA
14	SW1107	DAYARAM RAJPOOT
15	SW1113	ATUL KHUNE
16	SW1116	DIVYARATAN GOUTAM
17	SW1136	DIVYA DARSHAN SHARMA
18	SW1137	LAXMAN SENANEE
19	SW1156	RAVINDRA HARDIYA
20	SW1161	DALVEER SINGH PALIYA
21	SW1162	LEELA SENANEE
22	SW1171	PRADEEP SINGH RAWAT
23	SW1173	ANIL PATIDAR
24	SW1174	PRADNYA VISHAL KARANDIKAR
25	SW1203	SANJEEV SAKIYA
26	SW1210	VIPIN KUMAR SINGH
27	SW1220	VIJENDRA DEWADA
28	SW1225	AFAQUE JAHAN KHAN
29	SW1233	UMA PATEL
30	SW1239	MANU DHURWEY
31	SW1242	GUDDU SINGH KAKODIYA
32	SW1243	MANJULATA KUSHWAHA

SL. No.	ROLL No.	NAME
33	SW1256	SHELENDRA RASANIYA
34	SW1268	NIRAJ PAL
35	SW1287	BHANVAR SINGH PAALIA
36	SW1290	SOMLAL UIKEY
37	SW1298	NITIN SHRIVASTAVA
38	SW1319	SANCHITA BARUAH
39	SW1327	MOHAMMAD AHMAD KHAN
40	SW1328	JITENDRA KUMAR
41	SW1330	DINESH BANSAL
42	SW1331	BRAJRAJ SINGH
43	SW1334	SAVITREE PAL
44	SW1335	KANAK MAHADIK
45	SW1342	YOGITA YADAV
46	SW1352	KRISHNA KANT KHARE
47	SW1355	RAGHVENDRA SINGH YADAV
48	SW1356	MISS SHIPRA SRIVASTAVA
49	SW1368	JAIRAJ SINGH JADON
50	SW1384	BHARAT BHUSHAN MEWAR
51	SW1386	PRAMOD SINGH NARWARIA
52	SW1389	DIWAKAR PAL
53	SW1397	AJAY KUMAR BAGHEL
54	SW1398	KUNWAR RAJ NA
55	SW1399	PRADEEP ASTEYA
56	SW1421	PRADEEP SINGH CHAHAR
57	SW1425	ANURAG PATHAK
58	SW1427	CHANDER PAL MORIYA
59	SW1429	SUNITA RICHHARIYA
60	SW1430	PADAM KUMAR SAVITA
61	SW1432	LOKENDRA SINGH NARWARIYA
62	SW1433	UPENDRA PANDEY
63	SW1434	NIDHI RAI
64	SW1437	ANSHU RANI
65	SW1449	JOTISHINA SINGH
66	SW1450	TRILOK SINGH CHAHAR
67	SW1488	RAVINDRA THAKUR
68	SW1508	SHILPI PRAVIN VISHWAKARMA
69	SW1515	MONIKA KUSHWAHA
70	SW1525	SHAILENDRA SINGH JAT
71	SW1533	RAM JI MISHRA
72	SW1539	KRASHNA KUMAR CHOURASIYA
73	SW1547	KAMLESH KUMAR TEMBHRE
74	SW1552	VIVEK CHOUBEY
75	SW1555	POOJA KUREEL
76	SW1568	BRIJ KANT SAKET
77	SW1577	YASH SINGH

महत्वपूर्ण टीपः-

1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाऐंगे.
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे.
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक

(1311-A)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, विजयराघवगढ़, जिला कटनी

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/2016-17.

एतद्द्वारा सर्व-संबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक मदन ग्रोवर संस्थापक-अध्यक्ष एवं मैनेजिंग ट्रस्टी नीलकण्ठेश्वर भक्ति धारा ट्रस्ट, सलैया पहरहाई, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्टियों की सूची, शपथ-पत्र, 500/- रु. की चालान की प्रति खसरा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है.

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई एतराज, आपत्ति, सुझाव हो तो वह अपनी आपत्ति जारी दिनांक से पेशी दिनांक तक स्वयं या अभिभाषक/प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं. बाद में प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जायेगा.

आज दिनांक 16 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

धर्मेन्द्र मिश्रा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1312)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ट्रस्ट (शहर), रतलाम

प्र. क्र. 07/बी-113(1)/2016-17. रतलाम, दिनांक 08 जून, 2017

[फार्म-4 नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत्]

क्र. 07/आर-3/17.–आवेदक श्री प्रद्युम्न मजावदिया डॉ. गोपाल मजावदिया, रतलाम (सचिव) के ट्रस्टीगणों के द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "रोटरी सोशल वेलफेअर चेरिटेबल ट्रस्ट, रतलाम म. प्र." के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 07 जुलाई, 2017 को की जावेगी.

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 07 जुलाई, 2017 को इस न्यायालय

में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें. और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यासी का पूरा नाम	:	"रोटरी सोशल वेलफेअर चेरिटेबल ट्रस्ट, रतलाम म. प्र." पता-पुष्पक, टी.आई.टी. रोड, रतलाम.
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	रु. 10,000/-

नेहा भारतीय,
रजिस्ट्रार.

(1313)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर एवं नरसिंहपुर

जबलपुर, दिनांक 06 जून, 2017

शुद्धि-पत्र

क्र./1578/नग्रानि/डीपीआर-613/17.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के तहत् सर्व-साधारण की जानकारी हेतु वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 02 जून, 2017 को किया गया है, जिसमें निम्न संशोधन किया जाता है.

गठित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 13 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार किये गये हैं जो कि निम्नानुसार हैं :-

1. कौंडिया, 2. चिरहा खुर्द, 3. बोदरी (भाग), 4. चिरहकला, 5. गरधा (भाग), 6. कामती, 7. पिटेहरा, 8. आमगांव, 9. जमाड़ा, 10. पतलोन, 11. खैरी, 12. गाडरवारा, 13. इमलिया.

उपरोक्त ग्राम बोदरी (भाग) एवं ग्राम गरधा (भाग) के स्थान पर ग्राम बोदरी एवं गरधा पढ़ा जावे.

(1314)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कटनी

प्ररूप-पाँच

(नियम-11 देखिए)

वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन का प्ररूप

कैमोर-विजयराघवगढ़ निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किया गया था एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-15 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, आपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अब उपरोक्त योजना कैमोर-विजयराघवगढ़ क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 24 जून, 2017 से 08 जुलाई, 2017 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी :-

(1) संभागीय आयुक्त, जबलपुर मध्यप्रदेश,

(2) कलेक्टर, जिला कटनी,

(3) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कटनी,

(4) नगर परिषद्, विजयराघवगढ़/कैमोर.

नीरज आनंद लिखार,
संयुक्त संचालक,
वास्ते-सहायक संचालक.

(1315)

उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल

शहडोल, दिनांक 27 मई, 2017

धनपुरी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंतिम प्रकाशन हेतु सूचना

क्र./189/नग्रानि/2017.—धनपुरी निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 (1) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) पृ.क्र. 828, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये हैं. इस संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं. धनपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट है.

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम कटकोना, पकरिया एवं साबो ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम झगरहा एवं अमलई की पूर्वी सीमा तक
दक्षिण में	:	ग्राम अमलई एवं बॅगवार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बॅगवार, सरईकापा अहिरगवॉ एवं विक्रमपुर की पश्चिमी सीमा तक.

अत: उपरोक्त धनपुरी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भू-उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है. उसकी एक प्रति निम्न कार्यालयों में दिनांक 30 मई, 2017 से दिनांक 09 जून, 2017 तक कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

(1) संभागीय आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल मध्यप्रदेश,

(2) कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश,

(3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद धनपुरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश,

(4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढार, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

(5) उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय शहडोल मध्यप्रदेश.

आर. के. पाण्डेय,
संयुक्त संचालक,
वास्ते उप-संचालक.

(1316)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1066.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/34, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा गुरू बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., विलगांय को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 34, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये गुरू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विलगांय, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308-F)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1067.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/40, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा माँ पदमावती बीज

उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., कटेरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 40, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ पदमावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटेरा, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चंदेल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. पी. कौशिक,
उप-पंजीयक.

(1308-G)

कार्यालय, सहायक आयुक्त (अंके.), सहकारी संस्थाएं, जिला-होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/101.-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) अन्तर्गत कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	भण्डारण सहकारी समिति, पिपरिया	3237/17-06-2015	1172/05-05-2017
2.	तवा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति, नयागांव	2451/07-05-1995	1173/05-05-2017
3.	तवा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति, माना	2527/05-12-1995	1174/05-05-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रहेड़ा सिवनीमालवा	3149/18-11-2014	1175/05-05-2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कान्द्राखेड़ी	3116/25-04-2014	1171/05-05-2017
6.	सुदर्शन बीज उत्पादक सहकारी समिति, निरखी	3049/16-06-2010	1176/05-05-2017
7.	गुरूकृपा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, डोलरिया	3078/04-08-2012	1177/05-05-2017
8.	अहिल्या प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार, इटारसी	2515/03-01-1995	1178/05-05-2017
9.	माँ रेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति, सागाखेड़ाकला	1192/06-05-2017	1192/05-05-2017
10.	शुभम बीज उत्पा. सहकारी समिति, शिवपुर	3219/17-06-2015	1193/05-05-2017
11.	श्रीकृष्ण जैविक खाद सहकारी समिति, शिवपुर	3176/10-04-2015	1194/05-05-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय लिखित प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. इस संबंध में पूर्व में उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद के स्तर से भी पत्र क्रमांक/परि./2017/299, होशंगाबाद, दिनांक 21 फरवरी, 2017 के माध्यम से सहकारी सोसायटियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र भी जारी किया गया था. किन्तु समिति स्तर से किसी प्रकार का संतुष्टि कारक उत्तर अप्राप्त रहने के फलस्वरूप परिसमापन की कार्यवाही की जा रही है.

अत: यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा.

संस्था के लेखा पुस्तकों में समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि पदाधिकारियों ने संपर्क नहीं किया तो पंजीयन निरस्ती हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी तथा दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. पाटिल,
अंकेक्षक अधिकारी एवं परिसमापक.

(1317)

कार्यालय, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 26 मई, 2017

क्र./परि./2017/1471.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कठेंगरा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी.	88, दिनांक 31-05-2004 नवीन पंजीयन क्र. 813 दिनांक 05-05-2017	1186, दिनांक 14-08-2014	श्री व्ही. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(1318)

शिवपुरी, दिनांक 02 जून, 2017

क्र./परि./2017/1507.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक कि नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	श्री राधाकृष्ण सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, नरसिंहपुर.	244/09-06-1971	570/13-07-2010	श्री पी. बंसल, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 02 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(1318-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/908.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमली जिसका पंजीयन क्र. 951, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 102, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/909.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओडपुर जिसका पंजीयन क्र. 471, दिनांक 14 मई, 1990 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 103, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओडपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-A)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/910.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चोमा जिसका पंजीयन क्र. 226, दिनांक 31 मार्च, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 104, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चोमा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-B)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/911.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यादान जिसका पंजीयन क्र. 223, दिनांक 31 मार्च, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 105, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यादान को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-C)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/912.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गेहुखेडी जिसका पंजीयन क्र. 1024, दिनांक 09 मई, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 106, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गेहुखेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-D)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/914.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामोरा जागीर जिसका पंजीयन क्र. 661, दिनांक 10 जनवरी, 2000 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 108, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामोरा जागीर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-E)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/915.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कासरोद जिसका पंजीयन क्र. 660, दिनांक 10 जनवरी, 2000 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 109, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कासरोद को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-F)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/917.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिठानी जिसका पंजीयन क्र. 909, दिनांक 09 दिसम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 111, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिठानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-G)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/918.—म. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावडी खेडा जिसका पंजीयन क्र. 227, दिनांक 31 मार्च, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 112, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए म. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावडी खेडा को एतद्द्वारा परिसमापन में

लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-H)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/919.—म. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नंदगांव जिसका पंजीयन क्र. 1061, दिनांक 11 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 113, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए म. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नंदगांव को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-I)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/921.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुवर कोठरी जिसका पंजीयन क्र. 824, दिनांक 14 अगस्त, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 115, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुवर कोठरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-J)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/923.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शेखनपुर जिसका पंजीयन क्र. 852, दिनांक 28 मार्च, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 116, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शेखनपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक

से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-K)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/924.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चेतावलीया जिसका पंजीयन क्र. 935, दिनांक 28 मई, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 117, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चेतावलीया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-L)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/925.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाजरोन जिसका पंजीयन क्र. 961, दिनांक 03 मार्च, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 118, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाजरोन को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-M)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/926.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनारा जिसका पंजीयन क्र. 1129, दिनांक ..... है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 119, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनारा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-N)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/930.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बादलखेडी जिसका पंजीयन क्र. 265, दिनांक 02 नवम्बर, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 100, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बादलखेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-O)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/931.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झरखेडा जिसका पंजीयन क्र. 1102, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 98, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झरखेडा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-P)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/936.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नारियाबे जिसका पंजीयन क्र. 898, दिनांक 09 दिसम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 94, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ... को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-Q)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/937.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलावर जिसका पंजीयन क्र. 707, दिनांक 31 अगस्त, 2001 है, को

परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 93, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलावर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-R)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/938.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लुहारी, जिसका पंजीयन क्र. 706, दिनांक 31 अगस्त, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 92, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लुहारी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-S)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/939.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलवाडिया (पुरुष), जिसका पंजीयन क्र. 262, दिनांक 02 नवम्बर, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 91, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलवाडिया (पुरुष) को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-T)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/940.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पडोनिया, जिसका पंजीयन क्र. 264, दिनांक 02 नवम्बर, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 90, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पडोनिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-U)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/941.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दाबलीकला, जिसका पंजीयन क्र. 373, दिनांक 26 फरवरी, 1985 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 51, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दाबलीकला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-V)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/942.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौलाज, जिसका पंजीयन क्र. 363, दिनांक 14 नवम्बर, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 50, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौलाज को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1319-W)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/943.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपल्या कला, जिसका पंजीयन क्र. 358, दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 49, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपल्या कला को एतद्द्वारा परिसमापन

में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.
(1319-X)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/944.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जीरियाखेडी, जिसका पंजीयन क्र. 265, दिनांक 16 नवम्बर, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 48, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जीरियाखेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.
(1319-Y)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/946.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरिया मीणा, जिसका पंजीयन क्र. 1197, दिनांक 25 जनवरी, 2011 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 46, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरिया मीणा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.
(1319-Z)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/947.—म. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालखेडी, जिसका पंजीयन क्र. 1138, दिनांक 17 अगस्त, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 45, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालखेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.
(1320)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/949.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूकली, जिसका पंजीयन क्र. 652, दिनांक 08 दिसम्बर, 1998 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 43, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूकली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-A)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/950.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हैदापुरा, जिसका पंजीयन क्र. 1053, दिनांक 05 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 42, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हैदापुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-B)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/951.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगलादीप, जिसका पंजीयन क्र. 1038, दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 41, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल. के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगलादीप को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-C)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/952.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललोती, जिसका पंजीयन क्र. 1096, दिनांक 09 सितम्बर, 2008 है, को

परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 40, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललोती को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-D)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/953.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसूखेडी, जिसका पंजीयन क्र. 1026, दिनांक 18 जुलाई, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 39, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसूखेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-E)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/954.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गादिया स्कुल, जिसका पंजीयन क्र. 984, दिनांक 17 जनवरी, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 37, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गादिया स्कुल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षंक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-F)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/956.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया रुवाला, जिसका पंजीयन क्र. 1079, दिनांक .....है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 36, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया रुवाला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-G)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/957.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटखेडी (करनवास), जिसका पंजीयन क्र. 907, दिनांक 09 दिसम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. ....., दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटखेडी (करनवास) को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-H)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/958.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलाली माता जी, जिसका पंजीयन क्र. 975, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 34, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलाली माता जी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-I)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/959.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वाडा, जिसका पंजीयन क्र. 862, दिनांक 06 मई, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 33, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वाडा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता

हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-J)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/960.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगराना, जिसका पंजीयन क्र. ....., दिनांक ..... है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 32, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगराना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-K)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/961.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसोरटा पवांर, जिसका पंजीयन क्र. 306, दिनांक 03 फरवरी, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 31, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसोरटा पवांर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-L)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/962.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलेनी, जिसका पंजीयन क्र. 267, दिनांक 05 नवम्बर, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 30, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलेनी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-M)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/963.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलावता, जिसका पंजीयन क्र. 240, दिनांक 30 मई, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 29, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलावता को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-N)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/964.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रघुनाथपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 964, दिनांक 28 मार्च, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 28, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रघुनाथपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-O)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/965.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहरीबामन, जिसका पंजीयन क्र. 1012, दिनांक 10 जनवरी, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 27, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहरीबामन को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-P)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/966.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छतरी, जिसका पंजीयन क्र. 930, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 है, को

परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 26, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छतरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-Q)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/967.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुराडिया, जिसका पंजीयन क्र. 680, दिनांक 16 फरवरी, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 09, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुराडिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1320-R)

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/968.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवाडा, जिसका पंजीयन क्र. 386, दिनांक 11 अप्रैल, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 08, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवाडा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

आर. एस. गौर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1320-S)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 05 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/938.—महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बडिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49-7(ख) के अंतर्गत संस्था द्वारा समयावधि में निर्वाचन

नहीं कराये जाने के फलस्वरुप संचालक मण्डल का पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा संस्था के नवीन निर्वाचन कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./2017/2566, दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था.

रिटर्निंग अधिकारी एवं प्रशासक द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 मई, 2017 से अवगत कराया गया है कि संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा किसी भी सदस्य द्वारा नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है. पत्र अनुसार संस्था अध्यक्ष, सचिव तथा दुग्ध संघ, पर्यवेक्षक द्वारा भी संस्था के निर्वाचन नहीं होना बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संस्था लगातार निष्क्रिय होकर अधिनियम एवं उपविधि का उल्लंघन कर रही है, जिसकी वजह से उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाती हूँ.

अत: मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बडिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015) को आज दिनांक 05 जून, 2017 से परिसमापन में लाती हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सुसनेर, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 05 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

श्वेता रावत,

(1321) प्रभारी उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक भारतीय उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यामाताजी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/Q1.–सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्र./परि./2017/537, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के अनुसार भारतीय उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पाडल्यामाताजी जिनका पंजीयन क्रमांक 849, दिनांक 21 मार्च, 2003 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-71 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, आर. व्ही. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरुप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरुप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्या या भूतपूर्व अधिरियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में (कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला राजगढ़) में मेरे पास जमा करा दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. व्ही. गुप्ता,

(1322) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 01 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/Q1.–सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्र./परि./2017/निम्नलिखित, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे

पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	628/09-12-1997	521/02-03-2017
2.	महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	692/23-04-2001	531/02-03-2017
3.	लक्की मछुआ सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	596/24-09-1993	527/02-03-2017
4.	चित्राश प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., कुरावर	1144/27-08-2009	538/02-03-2017
5.	प्राथ. सा. सहकारी संस्था मर्या., सुठालिया	1307/08-08-2014	545/02-03-2017
6.	संदेश उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बोडा	923/24-03-2004	549/02-03-2017
7.	राजीव गांधी उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., जीरापुरं	610/20-10-1995	550/02-03-2017

अतः मैं, डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरुप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरुप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 00 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. सी. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1322-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 03 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/Q1.–सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्र./परि./2017/निम्नलिखित, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ संतोषी उपभोक्ता भण्डार, राजगढ़	939/14-06-2004	551/02-03-2017
2.	उमा उपभोक्ता भण्डार, सारंगपुर	932/28-04-2004	555/02-03-2017
3.	लाल माता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मायापुर	1221/03-01-2012	535/02-03-2017
4.	प्रा. पूजा, नीतू मछुआ सहकारी संस्था मर्या., अमानपुरा	689/26-02-2001	530/02-03-2017
5.	श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., पचोर	330/19-09-1998	547/02-03-2017
6.	डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्या., कडियासॉसी	597/03-01-1994	542/02-03-2017
7.	अलऊरूज बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	1104/17-08-2008	526/02-03-2017

अतः मैं, के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे

एवं स्वरुप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरुप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 03 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. एन. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1322-B)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2017/369, मण्डला, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा हरित बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, थामनगांव, विकासखण्ड निवास की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितिं द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत हरित बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, थामनगांव, पंजीयन क्रमांक 1881, दिनांक 10 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री पी. पी. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड निवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1823)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2017/521, मण्डला, दिनांक 22 मई, 2017 के द्वारा कान्हा पर्यटक सुविधा सहकारी समिति मर्यादित, कान्हा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक सप्ताह में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत कान्हा पर्यटक सुविधा सहकारी समिति मर्यादित, कान्हा, पंजीयन क्रमांक 1396, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री पी. पी. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. दुबे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(1823-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017-आषाढ़ 02, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 जनवरी, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर व मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला बैतूल में फसल गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों व ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, खरगौन, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला खरगौन में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 जनवरी, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) समान	चारा एवं	
3. मुरैना	. .			पानी पर्याप्त.	
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		सरसों, अलसी, धनिया,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		मैथी, मसूर.		
			(2) . .		
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		मसूर, सरसों, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) समान.		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. रबी फसलें शीतलहर से 20%	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		तक प्रभावित.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		4. (1) उड़द, सोयाबीन, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		गन्ना, गेहूँ, चना.		
4. चन्देरी	. .		(2) समान.		
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		मटर, गेहूँ, अन्य रबी.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		तिल.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी एवं कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ, अन्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .		(2) सुधरी.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) समान.		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूसर, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .		(2) समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .		(2) सुधरी.		
4. बुढार	. .				
5. जैतपुर	. .				
6. गोहपारू	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .		(2) समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) समान.		
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, राई-सरसों, मसूर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .		(2) समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. आलोट	. .		(2) सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. ठंड से 15% हानि.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		मसूर.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .		(2) समान.		
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) कपास, गेहूँ, मटर, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) तुअर, कपास, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		मक्का.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .		(2) सुधरी.		
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		मूँगफली.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) . .		
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी व कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		कपास, मूँगफली, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		गेहूँ, चना, अलसी, राई-		
4. खरगौन	. .		सरसों.		
5. गोगावां	. .		(2) समान.		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, कपास.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तिवड़ा, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	. .		मटर, अलसी, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		मूँग, धनिया.		
4. गोहरगंज	. .		(2) समान.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. फसल, गेहूँ, मसूर, चना,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	मटर, राई-सरसों का बोनी	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	कार्य चालू है.	(2) सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		मसूर, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझोली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
45. *जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बजाग	. .		(2) . .		
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मक्का, तुअर, उड़द, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	. .		मूँगफली, तिल, सोयाबीन,		
4. बरघाट	. .		सन्, गन्ना.		
5. कुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला सिंगरोली, नीमच, राजगढ़, कटनी व डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1310)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.